



Rs. 157/-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 828/III/2008 निगरानी

भीमसेन पटेल पिता रामकिशोर पटेल
निवासी बोडरी तहसील सोहागपुर जिला
शहडोल

..... आवेदक

विरुद्ध

राममनोहर पिता मंगली पटेल साकिन
बोडरी तहसील सोहागपुर जिला
शहडोल (म.प्र.)

..... अनावेदक

प्रदाय-श्रीवास्तव
आमोपय
18-7-08 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
18/7/08

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध न्यायालय माननीय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा
के न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 154/अपील/07-08 में
पारित आदेश दिनांक 28.6.2006 के ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्न प्रकार से विनम निवेदन करता हूँ कि -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है -

आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रस्तुत की ।

ग्राम बोडरी स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 103 रकवा 0.656 हे., 753 रकवा
0.049 हे. रकवा 1318 रकवा 0.065 हे., सर्वे क्रं. 638 रकवा 0.094 हे., सर्वे क्रं. 1304
रकवा 0.166 हे. एवं आराजी खसरा नम्बर 1319 रकवा 1.716 हे. कुल किता 6 जुमला
रकवा 2.746 हे. भूमि आवेदक के पिता रामकिशोर पटेल के भूमिस्वामी एवं कब्जे दखल
की आराजी है उक्त आराजी पर आवेदक को बिना नोटिस विधि के द्वारा बनाये नियमों
के विपरीत अनावेदक के नाम नामांतरण कर दिया विद्वान अधीनस्थ अनुविभागीय

११

R 828/II/08

अहमदनगर

श्री कुंवर सिंह कुमवार

त

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२-२-१६	<p>आवेदक की कोश से सूचना उपरान्त कोश उपलब्ध नहीं। आवेदक अति. श्री कुंवर सिंह कुमवार उपरान्त शेष रिकॉर्ड मंगाया गया।</p> <p>C.F 11-4-16</p>	<p>11/4/16</p> <p></p>
११-४-१६	<p>आवेदक कोश से सूचना उपरान्त अनुपलब्ध। आवेदक अति. श्री कुंवर सिंह कुमवार उपरान्त शेष रिकॉर्ड मंगाया गया।</p> <p>दि २७-६-१६</p>	<p>27/6/16</p> <p></p>
२७-६-१६	<p>आवेदक की कोश से कोश उपलब्ध नहीं। आवेदक अति. श्री कुंवर सिंह कुमवार उपरान्त, तर्क प्रपण किया। आवेदक की अनुपालना के कारण, एवं प्रमाणित तथ्य तीन बार पुनः आवेदक के वरत को कोश उपलब्ध नहीं। अतः अदालत के द्वारा समझा किया गया है।</p>	<p></p> <p>27/6/16</p>